भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1367

03.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

देश के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को उन्नत बनाना

.1367 **श्री योगेन्द्र चांदोलिया :**
श्री शंकर लालवानी :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री मनोज तिवारी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के इकोसिस्टम को उन्नत बनाने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) सरकार के द्वारा स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरप्रदेश सहित राज्य-वार किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में पालघर ज़िले सहित आत्मनिर्भर भारत योजना की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(श्री एच.डी. कुमारस्वामी)

(क) से (घ): भारी उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत-2027 की भावना के अनुरुप स्थानीय विनिर्माण को सहायता प्रदान कर भारत के इलेक्ट्रिक वाहन पारितंत्र की प्रगति और सुदृढीकरण हेतु निम्नांकित स्कीमें तैयार की हैं और ये स्कीमें उत्तरप्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सहित अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती हैं :-

i. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम**: देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के संवर्धन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने पीएम ई-ड्राइव स्कीम 29.09.2024 को अधिसूचित की गई है। 01.04.2024 से

31.03.2026 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए इस स्कीम का परिव्यय 10,900 करोड़ रूपए है। 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की छह माह की अवधि के लिए कार्यान्वित इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम (ईएमपीएस)-2024 को पीएम ई-ड्राइव स्कीम में शामिल कर लिया गया है। इस स्कीम में ई-दुपहिया वाहनों, ई-तिपहिया वाहनों, ई-ट्रकों, ई-एम्बुलेंसों और ई-बसों की बिक्री के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने का लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए चार्जिंग अवसंरचना के विकास तथा परीक्षण एजेंसियों को स्तरोन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

ii. **ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) स्कीम :** पीएलआई-ऑटो स्कीम की शुरुआत 15.09.2021 को की गई थी ताकि उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ सके। इसका बजटीय परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रूपए था। स्कीम का ब्योरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry पर है।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी विनिर्माण संवर्धन हेतु 12 मई,2021 को पीएलआई-एसीसी स्कीम को अनुमोदित किया जिसका बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रूपए था। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का ब्योरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage पर है।

iv. **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम) स्कीम:** भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों की तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-।। (फेम-।।) को 01 अप्रैल,2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया गया जिसके लिए बजटीय सहायता 11,500 करोड़ रूपए थी। फेम इंडिया स्कीम,चरण-।। के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेम्बली/सब-असेम्बली तथा पुर्जों/सब-पार्ट्स का घरेलू स्तर पर विनिर्माण हो सके ताकि घरेलू मूल्यवर्धन बढ़े।

***